

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर.213) अलेसे-1/

दिनांक:- 15-7-2015

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)(सेवानिवृत्त) अलेसे-1/7682-7886 दिनांक 05.01.15 तथा आदेश संख्या 130/2014-15 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश में क्रम संख्या 32 पर अंकित श्री राम गोपाल शर्मा (लिंक न. 1220) के अर्द्धवार्षिक आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम गोपाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर.213) अलेसे-1/ 6533-6537
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 15-7-2015

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा।
2. कोषाधिकारी, झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि स्व० श्री रामगोपाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 का पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें तथा इनके समस्त भुगतान की कार्यवाही करने का श्रम करें।
3. श्री रामगोपाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय उपकोषालय गंगधार (झालावाड)।
4. उपनिदेशक (एसीपी) मु. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।

(कै.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)